[2020] 4 उम. नि. प. 441

सर्वणन

बनाम

राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व

[2020 की दांडिक अपील सं. 681-682]

15 अक्तूबर, 2020

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 167(2) – व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत का अधिकार – अभियुक्त को मामले में अंतर्वलित रकम का एक भाग जमा करने की शर्त पर व्यतिक्रम जमानत पर छोड़ने का निदेश दिया जाना – व्यतिक्रम जमानत के लिए आवदेन पर विचार करते समय केवल यह अपेक्षित है कि अभियुक्त, यथास्थिति साठ या नब्बे दिन से कारागार में है और अन्वेषण पूर्ण न होने के कारण आरोपपत्र फाइल नहीं किया गया है तथा अभियुक्त ने व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन किया है और जमानत देने के लिए तैयार है, तो न्यायालय ऐसी जमानत मंजूर करते समय मामले में अंतर्वलित कोई अभिकथित रकम जमा करने की शर्त अधिरोपित नहीं कर सकता है ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, इस अपील में अपीलार्थी को डी.सी.बी. पुलिस थाना, कन्याकुमारी जिला की फाइल पर 2019 के अपराध सं. 31 में तारीख 31 जनवरी, 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार और न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया गया था । अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन जमानत की ईप्सा करते हुए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन फाइल किया । अपीलार्थी की पत्नी ने विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शपथपत्र फाइल

किया और 15,67,338/- रुपए (पंद्रह लाख सड़सठ हजार तीन सौ अड़तीस रुपए मात्र) की अभिकथित रकम के विरुद्ध 7,00,000/- रुपए (सात लाख रुपए मात्र) का संदाय करने का आश्वासन दिया और शेष रकम तारीख 6 अप्रैल, 2020 को या इससे पूर्व संदत्त की जानी थी । अत: विद्वान् मजिस्ट्रेट ने तारीख 3 फरवरी, 2020 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों पर जमानत पर छोड़ दिया । विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ते हुए पारित किए गए आदेश की शर्त सं. 2 और 3 से अर्थात् जिसमें अपीलार्थी को अभिकथित कुल 15,67,338/- रुपए की रकम में से 7,00,000/- रुपए जमा करने का निदेश दिया गया था और शेष रकम तारीख 6 अप्रैल, 2020 को या उससे पूर्व जमा की जानी थी, व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने 2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 6214 के द्वारा उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार के उपांतरण के लिए समावेदन करने की स्वतंत्रता देते हुए उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और यह मत व्यक्त किया कि यदि कोई उपांतरण अपेक्षित है, तो उस पर मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जा सकता है । तत्पश्चात्, अपीलार्थी ने विद्वान् सेशन न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ने के लिए 2020 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 1695 फाइल किया । अपीलार्थी का यह पक्षकथन था कि उसे तारीख 31 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार और प्रतिप्रेषित किया गया था तथा वह 101 दिनों से अधिक समय से कारागार में है और अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है तथा पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन उपबंधित अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट फाइल नहीं की है । विद्वान् सेशन न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पूर्व में जब अपीलार्थी ने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था और जिसे न्यायालय में 7,00,000/- रुपए जमा करने की शर्त पर मंजूर किया गया था और उस शर्त का पालन नहीं किया गया था तथा उच्च न्यायालय द्वारा शर्तों में उपांतरण के लिए मजिस्ट्रेट

के न्यायालय में समावेदन करने की स्वतंत्रता आरक्षित करने के बावजूद अपीलार्थी ने ऐसा करने की बजाय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत के लिए आवेदन फाइल किया है । अपीलार्थी ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में समावेदन किया और अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की । अपीलार्थी की ओर से यह पक्षकथन था कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन नियमित जमानत पर छोड़ते समय जो रकम अधिरोपित की गई थी और पारित किए गए आदेश के अनुसरण में जिसे जमा किया जाना अपेक्षित था, उस रकम को जमा न करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत देने में अपीलार्थी-अभियुक्त के आड़े नहीं आता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत आज्ञापक जमानत है बशर्ते दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में दी गई शर्तों का समाधान होता हो । उच्च न्यायालय ने तारीख 24 जून, 2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा इस दलील को स्वीकार किया, तथापि, अपीलार्थी की पत्नी द्वारा पूर्व में विद्वान् मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन नियमित जमानत पर विचार करते हुए दिए गए वचन अर्थात् 7,00,000/- रुपए जमा करने की बात पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते हुए यह शर्त अधिरोपित की कि अपीलार्थी विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष 8,00,000/- रुपए की राशि जमा करेगा । उसके पश्चात् अपीलार्थी ने 2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 6214 में की शर्त सं. (ख) और (घ), जिसके द्वारा अपीलार्थी को विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 8,00,000/- रुपए जमा करने का निदेश दिया गया था और अपीलार्थी को आगामी आदेशों तक हर दिन 10.00 बजे पूर्वाह्न में संबंधित पुलिस थाने में परिप्रश्न के लिए रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया था, में उपांतरण करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 3622 फाइल किया । उच्च न्यायालय ने उपांतरण के लिए उक्त आवेदन को तारीख

27 जुलाई, 2020 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व में अपीलार्थी की पत्नी ने विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष 7,00,000/- रुपए जमा करने के लिए शपथपत्र फाइल किया था और अभिकथित रकम 32,23,073/- रुपए है, इसलिए 2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 6214 में तारीख 24 जून, 2020 के आदेश में की शर्त सं. (ख) और (घ) को उपांतरित किया जाना अपेक्षित नहीं है । अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा कतिपय उपांतरण के साथ अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत लेने के लिए एकमात्र अपेक्षा यह है कि अभियुक्त, यथास्थिति, 60 या 90 दिनों से अधिक समय से कारागार में है और यथास्थिति, 60 या 90 दिनों के भीतर अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है और 60वें या 90वें दिन कोई आरोपपत्र फाइल नहीं किया जाता है और अभियुक्त व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन करता है तथा जमानत देने के लिए तैयार है । इसमें अंतर्वलित अभिकथित रकम जमा करने की कोई अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की जा सकती है । अभियुक्त को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते समय ऐसी शर्त अधिरोपित करने से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत का उद्देश्य और प्रयोजन ही विफल हो जाएगा । उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश से भी यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते समय 8,00,000/- रुपए जमा करने की शर्त इस बात पर विचार करते हुए अधिरोपित की थी कि पूर्व में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन नियमित जमानत के आवेदन पर विचार करते समय अभियुक्त की पत्नी ने 7,00,000/- रुपए जमा करने के लिए एक शपथपत्र फाइल किया था । यह बात व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत मंजूर करते समय अंतर्वलित रकम जमा करने के लिए शर्त अधिरोपित करने का आधार नहीं हो सकती है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन

नियमित जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय और व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत के आवेदन पर विचार करते समय परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं । इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते समय 8,00,000/- रुपए जमा करने की अधिरोपित की गई शर्त असंधार्य है और अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है । (पैरा 9, 9.1 और 9.2)

अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्त सं. (घ) अर्थात् अपीलार्थी को आगामी आदेशों तक परिप्रश्न के लिए हर दिन 10.00 बजे पूर्वाह्न में संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट करने का संबंध है, यह शर्त भी असंधार्य है चूंकि यह अत्यंत कठोर है । इसके बजाय, अपीलार्थी को निदेश देते हुए जो शर्त अधिरोपित की जा सकती है वह यह है कि अन्वेषण पूर्ण करने में अन्वेषक अधिकारी का सहयोग करे और जब कभी उसे बुलाया जाए संबंधित पुलिस थाने के समक्ष अन्वेषण/परिप्रश्न के लिए हाजिर हो तथा इसका भंग करने पर अन्वेषक अधिकारी ऐसी शर्त के भंग के आधार पर जमानत के रद्दकरण के लिए संबंधित न्यायालय में समावेदन कर सकता है । (पैरा 10)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2017]	(2017) 15 एस. सी. सी. 67: **राकेश कुमार पॉल** बनाम **असम राज्य** ।	6, 9

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक अपील सं. 681-682.

2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 6214 और 2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 3622 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 24 जून, 2020 और 27 जुलाई, 2020 के आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री श्रीराम पी. और बी. रघुनाथ
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री जयंत मुथुराज, ज्येष्ठ अधिवक्ता, एम. योगेश वर्मा और राजेश्वरन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – इजाजत दी गई ।

2. मूल अभियुक्त ने 2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 6214 में तारीख 24 जून, 2020 को और 2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 3622 में तारीख 27 जुलाई, 2020 को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै न्यायपीठ द्वारा पारित किए गए उन आक्षेपित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होकर ये अपीलें फाइल की हैं, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 1, नागेरकायल, कन्याकुमारी जिला के समक्ष 2019 के अपराध सं. 31 में अपीलार्थी को 8,00,000/- रुपए (आठ लाख रुपए केवल) जमा करने की शर्त पर व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ा गया था ।

3. इस अपील में अपीलार्थी को डी.सी.बी. पुलिस थाना, कन्याकुमारी जिला की फाइल पर 2019 के अपराध सं. 31 में तारीख 31 जनवरी, 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार और न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया गया था । इस अपील में अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन जमानत की ईप्सा करते हुए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन फाइल किया । अपीलार्थी की पत्नी ने विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शपथपत्र फाइल किया और 15,67,338/- रुपए (पंद्रह लाख सड़सठ हजार तीन सौ अड़तीस रुपए मात्र) की अभिकथित रकम के विरुद्ध 7,00,000/- रुपए (सात लाख रुपए मात्र) संदाय करने का आश्वासन दिया और शेष रकम तारीख 6 अप्रैल, 2020 को या इससे पूर्व संदत्त की जानी थी । अत: विद्वान् मजिस्ट्रेट ने तारीख 3 फरवरी, 2020 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों पर जमानत पर छोड़ दिया । इन शर्तों में से एक शर्त अपीलार्थी को न्यायालय में 7,00,000/- रुपए जमा करने का निदेश देने की थी और 8,67,338/- रुपए की शेष रकम को तारीख 6 अप्रैल, 2020 को या इससे पूर्व जमा किए जाने का निदेश दिया गया था ।

4. विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ते हुए पारित किए गए आदेश की शर्त सं. 2 और 3 से अर्थात् जिसमें अपीलार्थी को अभिकथित कुल 15,67,338/- रुपए की रकम में से 7,00,000/- रुपए जमा करने का निदेश दिया गया था और शेष रकम तारीख 6 अप्रैल, 2020 को या उससे पूर्व जमा की जानी थी, व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने 2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 6214 के द्वारा उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार के उपांतरण के लिए समावेदन करने की स्वतंत्रता देते हुए उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और यह मत व्यक्त किया कि यदि कोई उपांतरण अपेक्षित है, तो उस पर मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जा सकता है । तत्पश्चात्, अपीलार्थी ने विद्वान् सेशन न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ने के लिए 2020 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 1695 फाइल किया । अपीलार्थी का यह पक्षकथन था कि उसे तारीख 31 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार और प्रतिप्रेषित किया गया था तथा वह 101 दिनों से अधिक समय से कारागार में है और अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है तथा पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन उपबंधित अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट फाइल नहीं की है । विद्वान् सेशन न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पूर्व में जब अपीलार्थी ने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था और जिसे न्यायालय में 7,00,000/- रुपए जमा करने की शर्त पर मंजूर किया गया था और उस शर्त का पालन नहीं किया गया था तथा उच्च न्यायालय द्वारा शर्तों में उपांतरण के लिए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में समावेदन करने की स्वतंत्रता आरक्षित करने के बावजूद अपीलार्थी ने ऐसा करने की बजाय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत के लिए आवेदन फाइल किया है ।

5. अपीलार्थी ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में समावेदन किया और अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़े जाने की

प्रार्थना की । अपीलार्थी की ओर से यह पक्षकथन था कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन नियमित जमानत पर छोड़ते समय जो रकम अधिरोपित की गई थी और पारित किए गए आदेश के अनुसरण में जिसे जमा किया जाना अपेक्षित था, उस रकम को जमा न करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत देने में अपीलार्थी-अभियुक्त के आड़े नहीं आता है । यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत आज्ञापक जमानत है बशर्ते दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में दी गई शर्तों का समाधान होता हो अर्थात् अन्वेषक अभिकरण द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन परिकल्पित समय के भीतर अन्वेषण पूर्ण नहीं किया जाता है और आरोपपत्र/रिपोर्ट फाइल नहीं की जाती है । उच्च न्यायालय ने तारीख 24 जून, 2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा इस दलील को स्वीकार किया, तथापि, अपीलार्थी की पत्नी द्वारा पूर्व में विद्वान् मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन नियमित जमानत पर विचार करते हुए दिए गए वचन अर्थात् 7,00,000/- रुपए जमा करने की बात पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते हुए यह शर्त अधिरोपित की कि अपीलार्थी विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष 8,00,000/- रुपए की राशि जमा करेगा । उसके पश्चात् अपीलार्थी ने 2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 6214 में की शर्त सं. (ख) और (घ), जिसके द्वारा अपीलार्थी को विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 8,00,000/- रुपए जमा करने का निदेश दिया गया था और अपीलार्थी को आगामी आदेशों तक हर दिन 10.00 बजे पूर्वाह्न में संबंधित पुलिस थाने में परिप्रश्न के लिए रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया था, में उपांतरण करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 3622 फाइल किया । उच्च न्यायालय ने उपांतरण के लिए उक्त आवेदन को तारीख 27 जुलाई, 2020 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व में अपीलार्थी की पत्नी ने विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष 7,00,000/-

रुपए जमा करने के लिए शपथपत्र फाइल किया था और अभिकथित रकम 32,23,073/- रुपए है, इसलिए 2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 6214 में तारीख 24 जून, 2020 के आदेश में की शर्त सं. (ख) और (घ) को उपांतरित किया जाना अपेक्षित नहीं है । इसलिए वर्तमान अपीलें फाइल की गई हैं ।

6. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते हुए अधिरोपित की गई शर्त सं. (ख) और (घ) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की स्कीम के प्रतिकूल है । यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में मत व्यक्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की स्कीम में यह वर्णित है कि किसी व्यक्ति की दैहिक स्वाधीनता के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के उपबंधों को सम्यक् ध्यान में रखा जाना चाहिए । साठ दिन या नब्बे दिन, जो लागू हो, के भीतर आरोपपत्र प्रस्तुत किए बिना पुलिस द्वारा अभियुक्त को निरुद्ध नहीं किया जा सकता है । यह उपबंध दैहिक स्वाधीनता को सम्यक् मान्यता देता है । यह दलील दी गई कि जैसा कि **राकेश कुमार पॉल** बनाम **असम राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, जहां अन्वेषण, यथास्थिति, 60 दिन या 90 दिन के भीतर पूर्ण नहीं होता है, 60वें या 90वें दिन आरोपपत्र फाइल नहीं किया जाता है और अभियुक्त व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन करता है तथा जमानत देने के लिए तैयार है, तो अभियुक्त व्यतिक्रम जमानत का हकदार बन जाता है, इसे न तो अभियोजन पक्ष द्वारा और न ही न्यायालय द्वारा विफल किया जा सकता है । यह दलील दी गई कि यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त को व्यतिक्रम जमानत मंजूर करने के लिए कोई आधार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है अपितु केवल यह कथन करने की आवश्यकता है कि यथास्थिति, 60/90 दिन समाप्त हो गए हैं और आरोपपत्र फाइल नहीं किया गया है,

---

[1] (2017) 15 एस. सी. सी. 67.

वह जमानत का हकदार है और जमानत देने के लिए इच्छुक है । यह दलील दी गई कि इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते हुए अधिरोपित की गई शर्त सं. (ख) और (घ) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की स्कीम के विरुद्ध हैं ।

6.1 अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि अपीलार्थी की पत्नी द्वारा 7,00,000/- रुपए जमा करने के लिए विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया गया शपथपत्र और 15,67,338/- रुपए जमा करने पर अपीलार्थी को छोड़ने के लिए विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया पूर्ववर्ती आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन नियमित जमानत की बाबत था और यह आदेश व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत लेने में अपीलार्थी के आड़े नहीं आएगा, यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन मामला बनाया जाता है । यह दलील दी गई कि इसीलिए और वास्तव में उच्च न्यायालय ने इस जमानत को स्वीकार किया था और अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ा था, तथापि, 8,00,000/- रुपए जमा करने की इस शर्त के आधार पर छोड़ा था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन नियमित जमानत पर विचार करते समय अपीलार्थी की पत्नी ने 7,00,000/- रुपए जमा करने के लिए सहमति दी थी और शपथपत्र फाइल किया था । यह दलील दी गई कि अपीलार्थी को पूर्वोक्त आधार पर व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते समय 8,00,000/- रुपए जमा करने की शर्त से व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत मंजूर करने का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा । यह दलील दी गई कि व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर विचार करते समय केवल जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए और जो कानूनी अपेक्षा है वह यह है कि आरोपपत्र या चालान फाइल करने की कानूनी अवधि समाप्त हो गई है और अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार है ।

6.2 उपरोक्त दलीलें देते हुए प्रार्थना की गई है कि इन अपीलों को मंजूर किया जाए और 2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 6214

में उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 24 जून, 2020 को पारित किए गए आदेश की शर्त सं. (ख) और (घ) को हटाया जाए ।

7. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री जयंत मुथुराज ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश (आदेशों) का यह दलील देते हुए समर्थन करने की कोशिश की कि चूंकि अपीलार्थी की पत्नी ने पूर्व में विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष 7,00,000/- रुपए जमा करने के लिए एक शपथपत्र फाइल किया था और अभिकथित रकम 15,67,338/- रुपए थी, संभवत: इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को 8,00,000/- रुपए जमा करने का निदेश देते हुए शर्त सं. (ख) अधिरोपित की थी ।

8. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना । इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी-अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते समय उच्च न्यायालय द्वारा यथा अधिरोपित कोई रकम जमा करने की शर्त अधिरोपित की जा सकती थी या नहीं ?

9. संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् और व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत की स्कीम और उद्देश्य तथा प्रयोजन पर विचार करने पर हमारी यह राय है कि उच्च न्यायालय ने यह शर्त अधिरोपित करके गंभीर गलती की थी कि अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते समय वह 8,00,000/- रुपए की राशि जमा करेगा । यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने ऐसी शर्त इस तथ्य पर विचार करते हुए अधिरोपित की थी कि पूर्व में नियमित जमानत के आवेदन पर सुनवाई करते समय अपीलार्थी की पत्नी ने विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष 7,00,000/- रुपए जमा करने पर सहमत होते हुए एक शपथपत्र फाइल किया था । तथापि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में मत व्यक्त किया गया है और अति विशिष्ट रूप से **राकेश कुमार पॉल** (उपर्युक्त) वाले मामले में, जहां अन्वेषण यथास्थिति, 60 दिन या 90 दिन के भीतर पूर्ण नहीं होता है

और 60वें या 90वें दिन आरोपपत्र फाइल नहीं किया जाता है तो अभियुक्त को व्यतिक्रम जमानत के लिए "अजेय अधिकार" मिल जाता है और जब एक बार अभियुक्त व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन करता है और जमानत दे देता है तो अभियुक्त व्यतिक्रम जमानत का हकदार बन जाता है । अत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत लेने के लिए एकमात्र अपेक्षा यह है कि अभियुक्त, यथास्थिति, 60 या 90 दिनों से अधिक समय से कारागार में है और यथास्थिति, 60 या 90 दिनों के भीतर अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है और 60वें या 90वें दिन कोई आरोपपत्र फाइल नहीं किया जाता है और अभियुक्त व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन करता है तथा जमानत देने के लिए तैयार है । इसमें अंतर्वलित अभिकथित रकम जमा करने की कोई अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की जा सकती है । अभियुक्त को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते समय ऐसी शर्त अधिरोपित करने से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत का उद्देश्य और प्रयोजन ही विफल हो जाएगा । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **राकेश कुमार पॉल** (उपर्युक्त) वाले मामले में और अन्य विनिश्चयों में मत व्यक्त किया गया है, अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में होने वाली संभाव्य घटना अर्थात् अन्वेषण, यथास्थिति, 60 दिन या 90 दिन के भीतर पूर्ण नहीं होता है और 60वें या 90वें दिन तक कोई आरोपपत्र फाइल नहीं किया जाता है और अभियुक्त व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन करता है तथा जमानत देने के लिए तैयार है, के अधीन रहते हुए व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत का हकदार है ।

9.1 जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश से भी यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते समय 8,00,000/- रुपए जमा करने की शर्त इस बात पर विचार करते हुए अधिरोपित की थी कि पूर्व में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन नियमित जमानत के आवेदन पर विचार करते समय अभियुक्त की

पत्नी ने 7,00,000/- रुपए जमा करने के लिए एक शपथपत्र फाइल किया था । यह बात व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत मंजूर करते समय अंतर्वलित रकम जमा करने के लिए शर्त अधिरोपित करने का आधार नहीं हो सकती है ।

9.2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अधीन नियमित जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय और व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत के आवेदन पर विचार करते समय परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं । इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत/कानूनी जमानत पर छोड़ते समय 8,00,000/- रुपए जमा करने की अधिरोपित की गई शर्त असंधार्य है और अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है ।

10. अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्त सं. (घ) अर्थात् अपीलार्थी को आगामी आदेशों तक परिप्रश्न के लिए हर दिन 10.00 बजे पूर्वाह्न में संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट करने का संबंध है, यह शर्त भी असंधार्य है चूंकि यह अत्यंत कठोर है । इसके बजाय, अपीलार्थी को निदेश देते हुए जो शर्त अधिरोपित की जा सकती है वह यह है कि अन्वेषण पूर्ण करने में अन्वेषक अधिकारी का सहयोग करे और जब कभी उसे बुलाया जाए संबंधित पुलिस थाने के समक्ष अन्वेषण/परिप्रश्न के लिए हाजिर हो तथा इसका भंग करने पर अन्वेषक अधिकारी ऐसी शर्त के भंग के आधार पर जमानत के रद्दकरण के लिए संबंधित न्यायालय में समावेदन कर सकता है ।

11. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, यह अपीलें सफल होती हैं । उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के दांडिक मूल आवेदन (एमडी) सं. 6214 में तारीख 24 जून, 2020 को पारित किए गए आदेश की शर्त सं. (ख) अर्थात् अपीलार्थी को कानूनी जमानत पर छोड़ते समय विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 1, नागेरपायल, कन्याकुमारी जिला के समक्ष 2019 के अपराध सं. 31 में 8,00,000/- रुपए जमा करने का निदेश देने की शर्त तदद्वारा अभिखंडित और अपास्त की जाती है । शर्त सं. (घ) अर्थात् अपीलार्थी को

परिप्रश्न के लिए आगामी आदेशों तक हर दिन 10.00 बजे पूर्वाह्न में संबंधित पुलिस थाने के समक्ष रिपोर्ट करने का निदेश देने की शर्त को तदद्वारा इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है और यह निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी अन्वेषक अभिकरण के साथ सहयोग करेगा और जब उसे अन्वेषण/परिप्रश्न के लिए बुलाया जाएगा वह संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा और सहयोग न करने पर जमानत के रद्दकरण सहित इसके परिणाम भुगतने होंगे । उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 24 जून, 2020 के आदेश में अधिरोपित की शेष शर्तें कायम रखी जाती हैं ।

12. तद्नुसार यह अपीलें पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार मंजूर की जाती हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.